

मध्य प्रदेश में पहली बार होगा पार्षद पदों के नरिवाचन का व्यय लेखा

चर्चा में क्यों?

30 मई, 2022 को राज्य नरिवाचन आयुक्त बसंत प्रताप सहि ने बताया कनिगरीय नकियाय नरिवाचन में पहली बार पार्षद पदों के नरिवाचन व्यय लेखा का प्रावधान कया गया है।

प्रमुख बदि

- व्यय लेखा संधारण पर्यवेक्षण के लयि रटिरुनगि ऑफसिर कार्यालय में नरिवाचन हेल्प डेस्क स्थापति करने के नरिदेश भी दयि गए हैं।
- उल्लेखनीय है कइ इसके पहले महापौर एवं अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के व्यय लेखा का संधारण कया जाता था।
- पार्षद पदों के नरिवाचन व्यय की अधिकितम सीमा नगर नगिम में जनगणना, 2011 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर 8 लाख 75 हज़ार और 10 लाख से कम जनसंख्या पर 3 लाख 75 हज़ार हैं।
- नगरपालिका परिषदों में एक लाख से अधिक जनसंख्या पर 2 लाख 50 हज़ार, 50 हज़ार से एक लाख तक की जनसंख्या पर एक लाख 50 हज़ार और 50 हज़ार से कम जनसंख्या पर पार्षदों के नरिवाचन व्यय की अधिक व्यय सीमा एक लाख रुपए है।
- वही 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर नगिमों में 35 लाख और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर नगिमों में महापौर पद के अभ्यर्थियों के नरिवाचन व्यय की अधिकितम सीमा 15 लाख रुपए नरिधारति है।